



सूचना भवन, 8 सी.जी. ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003
Soochna Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi -110 003
24366745-46-47-49/24366403-04-05-25 फैक्स Fax: विस्तार Ext. 311
ई-मेल - pcibpplevy@gmail.com वेबसाइट - www.presscouncil.nic.in

PR/8/2018-19 PCI

Dated: 18.04.2018

Press Release

Online Payment of Levy of Fee under Section 16(1) of Press Council Act, 1978

Press Council of India, for the purpose of performing its functions under the Press Council Act, 1978, levies fee under Section 16 (1) of the Act upon the registered newspapers and news agencies at the rates prescribed by the Central Government.

It is hereby informed to all Publishers that the levy fee shall henceforth be collected in Allahabad Bank Account Number only through **SabPaisa-AllBank Qwikcollect in On-line mode**, the link and other payment related details are available on Press Council official website –<http://presscouncil.nic.in>. Every Newspaper has been allotted a permanent unique ID which may be noted and used to make payment through the Link.

Offline levy collection through State Bank of India is being discontinued with immediate effect.

Outstanding dues as verified, confirmed and accepted be paid from Financial Year 2018-19 through the Link and receipt downloaded. Discrepancy, if any, can be submitted in prescribed form uploading evidence of your payment against shown outstanding arrears.

For any further query, contact: 011-24366403 ext. 311/312/313

eMail – pcibpplevy@gmail.com and secy-pci@nic.in





सूचना भवन, 8 सी.जी. ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003
Soochna Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi -110 003
24366745-46-47-49/24366403-04-05-25 फेक्स Fax: विस्तार Ext. 311
ई-मेल - pcibpplevy@gmail.com वेबसाइट - www.presscouncil.nic.in

पीआर/8/2018-19 पीसीआई

दिनांक: 18.04.2018

प्रेस प्रकाशनी

प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 16 (1) के अंतर्गत लेवी शुल्क का ऑनलाइन भुगतान

भारतीय प्रेस परिषद्, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 को निष्पादित करने के अंतर्गत अपने कृत्यों 1978 से केंद्र सरकार करने के उद्देश्य द्वारा निर्धारित दरों पर पंजीकृत समाचारपत्रों व समाचार एजेंसियों से इस अधिनियम की धारा 16(1) के अंतर्गत उगाही शुल्क लेती है।

सभी प्रकाशकों को सूचित किया जाता है कि अब से लेवी शुल्क केवल ऑनलाइन ही ईलाहाबाद बैंक अकाउंट नंबर SabPaisa-AllBank Qwikcollect in On-line mode से एकत्रित किया जाएगा, लिंक और भुगतान संबंधी अन्य विवरण हमारी आधिकारिक वेबसाइट - <http://presscouncil.nic.in> पर उपलब्ध हैं। सभी समाचारपत्रों को स्थायी यूनीक आईडी दी गई है, जिसे एक लिंक के जरिए भुगतान के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।

इसके अलावा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ऑफलाइन लेवी एकत्रित करना तत्काल बंद किया जा रहा है।

वर्ष 2018-19 व बकाया देय राशि, जैसी सत्यापित, पुष्टि और स्वीकार की गई हो, का भुगतान आप लिंक के जरिए कर सकते हैं और उसकी रसीद डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसे दर्शायी गई बकाया राशि के सामने आपके द्वारा किए गए भुगतान के साक्ष्य को अपलोड करते हुए निर्धारित फॉर्म में भर कर जमा किया जा सकता है।

किसी भी अन्य प्रश्न के लिए, संपर्क करें: 011-24366403 Ext. 311/312/313

ईमेल - pcibpplevy@gmail.com और secy-pci@nic.in

